विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–33 / 2025
पंजीकरण तिथि–28.02.2025

प्रमोद सिंह तोलिया, परिवादी
मै0 सरस्वती बैवरैजेज गुलजारपुर रामसिंह,
चकलुवा कालाढुंगी
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि आपको अवगत कराना है कि मेरा कनेक्शन नं० RR0K000030414 / 150 KVA का गुलजारपूर रामसिंह कालाढुगी में है। जिसमें माह जुलाई 2024 से बिल अत्यधिक आ रहा है। जिसके सम्बन्ध में हमारे द्वारा चैक मीटर लगाने हेतु खण्ड कार्यालय में अनुरोध करने पर चैक मीटर लगाया गया। चैक मीटर उतारने के पश्चात भी हमारा बिल कम नही हुआ। अभी वर्तमान में मेरी बकाया राशि 4208860 / हो गयी है विद्युत विभाग द्वारा मेरे कनैक्शन काटने हेतू मेरे परिसर पर कई बार आ चुके हैं परन्तु मैं अपने विद्युत बिल व चैक मीटर रिपोर्ट से सन्तुष्ट नही हूँ। मेरे द्वारा रूपये 2100000 /= विभागीय खाते में जमा करा दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे विद्युत बिलों की जाँच कर संसोधित करने के लिए विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें एवं तब तक मेरा विद्युत कनेक्शन न काटा जाये।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र दिनांकित 07.03.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता मै0 सरस्वती बैबरेज, विद्युत भार–150 के0वी0ए0, संयोजन संख्या RR0K000030414 द्वारा चैक मापक लगाने हेतु आवेदन किया गया था, दिनांक 28.12.2024 को शिकायत संख्या–22812240630 दर्ज की गयी थी, जिसके क्रम मे दिनांक 02.01.2025 को चैक मापक फाईनल किया गया। मुख्य मापक तथा चैक मापक से 1.05 प्रतिशत तेज पाया गय जो कि **Permissible Limit** के अन्तर्गत है। चैक मापक की रिपोर्ट संलग्न है। उपभोक्ता का मापक सही है तथा उपभोक्ता को एम0यू0 के आधार पर विद्युत बिल निर्गत किये जा रहे हैं। वर्तमान में उपभोक्ता के उक्त संयोजन के सापेक्ष धनराशि रु0 2108860.00 बकाया है।

3. दिनांक 12.03.2025 को मंच में उभय पक्षों की सुनवाई की गई। परिवादी की ओर से उनके प्रतिनिधि (हरिशंकर पांडे) उपस्थित व विभागीय प्रतिनिधि सहायक अभियन्ता(राजस्व) उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान परिवादी ने कहा कि उन्होंने अभी 21 लाख रुपए जमा किए हैं अचानक बिल बढ़कर आ रहा है परिसर का निरीक्षण करवाया जाए तथा संयोजन विच्छेदित ना किया जाए। विपक्षी सहायक अभियंता (राजस्व) द्वारा कहा गया कि दोनों पक्षों की ओर से संयुक्त निरीक्षण किया जा सकता है। उक्त के क्रम में मंच द्वारा, विपक्षी को आदेशित किया गया कि वितरण खंड एवं परीक्षण खंड के अधिकारी संयुक्त रूप से परिवादी के परिसर का निरीक्षण करें, जिसमें परिवादी के तकनीकी कर्मचारी/स्वयं परिवादी उपस्थित हो। तथा दोनों पक्ष दिनांक 24.03.2025 तक आपसी समन्वय के आधार पर कोई निरीक्षण तिथि तय कर संयुक्त रूप से परीक्षण करें। साथ ही परिवादी को निर्देशित किया जाता है कि वह बकाया राशि के सापेक्ष दिनांक 24.03.2025 तक ₹5 लाख विपक्षी के कार्यालय में जमा करें। विपक्षी/विभाग परिवादी से 5 लाख रुपया के साथ ही आगे के Current Bill लेना स्वीकार करें तथा वाद के निस्तारण तक परिवादी का विद्युत संयोजन विच्छेदित ना करें।

4. सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि 25.03.2025 को परिवादी मंच में उपस्थित नहीं हुए। उनके प्रतिनिधि ने पत्र के माध्यम से अन्य तिथि की मांग की। विपक्षी की ओर से उपखंड अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने अधिशासी अभियंता की ओर से आख्या प्रस्तुत की। आख्या के अनुसारः– अधिशासी अभियंता के साथ ही उपखंड अधिकारी कालाढूंगी तथा सहायक अभियंता राजस्व रामनगर एवं उपभोकता/प्रतिनिधि के साथ संयोजन परिसर का निरीक्षण/मापक का परीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या तथा मापक की एम0आर0आई0 रिपोर्ट सेवा में सादर प्रेषित।

परिवादी के परिसर की संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत हैः–

"माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कुमाऊं क्षेत्र हल्द्वानी के दिनांक 12.03.2025 के आदेश के क्रम में आज दिनांक 24.03.2025 को इस खंड के अंतर्गत विद्युत उपभोक्ता मै0 सरस्वती बैबरेज, गुलजरपुर विद्युत भार–150 के0वी0ए0, विद्युत संयोजन संख्या–RR0K000030414 के परिसर का संयुक्त निरीक्षण/परीक्षण किया गया। उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मापक प्रणाली की जांच की गई एवं पाया गया कि उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित कैपेसिटर बैंक के चालित अवस्था में प्लांट को चलाने पर मापक में पावर फैक्टर 0.534 मापक पर प्रदर्शित हुआ तथा कैपेसिटर बैंक में बंद करने के उपरांत प्लांट चलाने पर पावर फैक्टर जीरो 0.89 मापक पर प्रदर्शित हुआ। कैपेसिटर बैंक बंद अवस्था में ही रखते हुए कुछ समय अंतराल पर लगभग 25 मिनट के उपरांत मापक की पुनः रीडिंग ली गई, जिसमें उपभोग की गई KWH एवं KVAH यूनिट संतुलित अवस्था में पाई गई। उपरोक्त निरीक्षण का विश्लेषण करने के पश्चात विभागीय मापक प्रणाली में कोई दोष नहीं पाया गया है।"

5. मंच द्वारा सुनवाई हेतु पुनः 07.04.2025 की तिथि नियत की गई। परिवादी इस तिथि पर भी मंच में उपस्थित नहीं हुए, और ना ही उनकी तरफ से कोई सूचना प्रेषित की गई। सुनवाई में उपस्थित उपखंड अधिकारी द्वारा कहा गया कि मंच के आदेश पर परिवादी के परिसर का संयुक्त निरीक्षण किया गया था जिस संबंध में पूर्व तिथि पर आख्या प्रस्तुत की जा चुकी है।

6. मंच द्वारा परिवादी को सुनवाई का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 22.04.2025 की तिथि नियत की गई। परिवादी इस तिथि पर भी उपस्थित नहीं हुए और ना ही कोई सूचना मंच को प्रेषित की। विपक्षी की ओर से उपखंड अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने कहा कि संयुक्त निरीक्षण में यह स्पष्ट हो गया है कि मापक प्रणाली में कोई दोष नहीं है, जो भी कमी रही है वह परिवादी के परिसर पर रही है। अतः वाद खारिज किया जाये।

7. मंच द्वारा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। परिवादी के परिसर पर विपक्षी/विभाग एवं उपभोक्ता के संयुक्त रूप से निरीक्षण/परीक्षण के पश्चात परिवादी मंच में किसी भी तिथि पर सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए, जिससे यह माना जा सकता है कि परिवादी, विपक्षी की निरीक्षण आख्या से संतुष्ट हैं तथा निरीक्षण के पश्चात उनकी खपत समान्य आ रही है। विभाग की मीटर प्रणाली में कोई दोष नहीं होने संबंधी विपक्षी के उत्तर पर भी परिवादी ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। अतः उपरोक्त चर्चा के आधार पर वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के

भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 24/ 04/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः– 24/04/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–36 / 2025
पंजीकरण तिथि–05.03.2025

परिवादी

दीप कुमार सिंह
गौला बैराज, काठगोदाम
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

विपक्षी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
तिकोनिया, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि "Sir jee m Deep Kumar Singh kathgodam haldwani sy mara meter 30.11.2023 ko chang hua abhi tak bil n mil raha hai 3 bar vijali vibhag ky chaker laga liya so app is par kuch kary. "
2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता के कुछ माहों के बीजक आई०डी०एफ० में निर्मित हुए है, एवं माह 03 / 2025 का एडमिन द्वारा 0 यूनिट पाठ्याक का बिल संशोधित हुआ है, जबकि उपभोक्ता का माह 03 / 2025 बिल 2267 के0डब्लयू0एस का बिल निर्मित होना है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा पत्रांक–1140 दिनांक 19.03.2025 द्वारा आर०ए०पी०आर०पी० हेल्पडेस्क, देहरादून को उपभोक्ता के माह 03 / 2025 का एडमिन द्वारा 0 यूनिट पाठ्याक निर्मित बिल को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है, ताकि उपभोक्ता का माह 03 / 2025 बिल 2267 के0डब्लयू0एस का बिल निर्मित किया जा सके।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांकित 24.03.2025 में कहा गया है कि दीप कुमार सिंह पुत्र स्व0 जगत सिंह, गौला बैराज, काठगोदाम, हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड का निवासी हूं। मेरे घर का मीटर खराब था दिनांक 30.11.2023 को नया मीटर–U885898 लगाया गया, मगर एक साल से बिजली बिल नहीं मिल रहा था इसके लिए वह 3 बार सीलिंग ऑफिस हल्द्वानी में गया फिर भी कोई काम ठीक से नहीं हुआ। अभी भी रिकॉर्ड में पुराना मीटर–700597 है। हर महीना पे कर रहा हूं दिनांक 30.11.2023 से अभी तक जो एक्स्ट्रा

क्रमशः

पे चार्ज होगा वह विद्युत विभाग पे करेगा क्योंकि यह गलती इनकी है न की मेरी। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस पर कुछ एक्शन ले आपकी महान कृपा होगी।

4. विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता के कुछ माहों के बीजक आई०डी०एफ० में निर्मित हुए है, एवं माह 03/2025 का एडमिन द्वारा 0 यूनिट पाठ्याक का बिल संशोधित हुआ है, जबकि उपभोक्ता का माह 03/2025 बिल 2267 के0डब्लयू0एस का बिल निर्मित होना है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा पत्रांक–1140 दिनांक 19.03.2025 द्वारा आर०ए०पी०आर०पी० हेल्पडेस्क, देहरादून को उपभोक्ता के माह 03/2025 का एडमिन द्वारा 0 यूनिट पाठ्याक निर्मित बिल को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया था। जिसके प्रतिउत्तर में आर०ए०पी०आर०पी० हेल्प डेस्क देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में उपभोक्ता का बिल संशोधन के उपरान्त भुगतान किया जा चुका है, जिस कारण माह 03/2025 का बिल संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः उपभोक्ता का माह 04/2025 का बिल रीडिंग के अनुसार निर्मित किया जायेगा।
5. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 24.03.2025 की तिथि नियत की गई थी। सुनवाई हेतु परिवादी प्रतिनिधि भौतिक रूप से उपस्थित हुए जबकि विपक्षी विभाग अनुपस्थित। परिवादी के तर्क सुनने के पश्चात मंच द्वारा विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि परिवादी के सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या–17106 दिनांक 30.11.2024 का अवलोकन करते हुए परिवादी का बीजक वास्तविक मीटर रीडिंग पर, बनाते हुए उचित टैरिफ के अनुसार मंच में प्रस्तुत करे।
6. मंच के पूर्व के निर्देश(दिनांक 24.03.2025) के सापेक्ष विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त उत्तर पत्र दिनांक 07.04.2025 में कहा गया हे कि उपभोक्ता के माह 04/2025 का बिल जो की वास्तविक रीडिंग 2267 KWH/KVAH के अनुसार निर्मित है (कागज संख्या–10/1)।
7. मंच द्वारा वाद पर पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 22.04.2025 की तिथि नियत की गई थी। परिवादी उपस्थित रहे विपक्षी अनुपस्थित। विपक्षी द्वारा आख्या प्रस्तुत कर कहा गया कि परिवादी का बीजक वास्तविक मीटर रीडिंग के अनुसार संशोधित कर दिया गया है।
8. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार परिवादी का मीटर दिनांक 30.11.2023 को बदल दिया गया परन्तु कंप्यूटर सिस्टम में प्रविष्टि दिनांक 05.05.2025 को हुई तथा इस अन्तराल में IDF के बिल निर्मित हुए जिनका परिवादी नियमित भुगतान करता रहा है। दिनांक 07.04.2025 को परिवादी के मीटर की रीडिंग 2267 KWH थी तथा इसी वास्तविक रीडिंग पर बीजक को संशोधित किया गया है जिसमें उचित टैरिफ स्लैब का प्रयोग किया गया तथा IDF के बीजकों को भी समायोजित किया गया है। इस संशोधन के पश्चात परिवादी को ₹ 5736.36 का समायोजन प्रदान किया गया है तथा अब शेष बकाया ₹ 8963.64 है।

इस प्रकार विपक्षी द्वारा परिवादी का बीजक वास्तविक खपत पर उचित टैरिफ दर से संशोधित कर शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फल स्वरुप वाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

क्रमशः

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 22/04/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 22/04/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–40 / 2025
पंजीकरण तिथि–11.03.2025

अमरजीत सिंह पुत्र जीत सिंह,
निवासी–पत्तापानी बैलपड़ाव
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी निम्न निवेदन करता है:–
   1. यह कि प्रार्थी मैसर्स खालसा वैल्डिंग वर्कशाप का कार्य करता है, वर्कशाप को चलाने के लिए प्रार्थी ने विद्युत कनैक्शन नं० RR2N120101406 व खाता संख्या 40115091176 लिया हुआ था, जिसका स्वीकृत भार 5 किलोवाट है।
   2. यह कि प्रार्थी समय से अपने विद्युत बिलों का भुगतान करता चला आ रहा था।
   3. यह कि प्रार्थी को जिला पंचायत क्षेत्र, पंचायत संघ नैनीताल द्वारा वैल्डिंग कार्य के लिए लाइसेन्स दिया गया था तथा प्रार्थी मैसर्स खालसा वैल्डिंग पत्तापानी बैलपड़ाव में वैल्डिंग का कार्य करता आ रहा है।
   4. यह कि प्रार्थी को लगातार उच्च दर पर विद्युत बिल प्रेषित किये जा रहे थे, जिसका भुगतान प्रार्थी द्वारा समय–समय पर किया जाता रहा था।
   5. यह कि प्रार्थी दिनांक 22 / 04 / 2024 को रूपये 7,144 का बिल प्रेषित किया गया तथा 17 / 05 / 2024 को रूपये 22,949 का बिल प्रेषित किया गया। पुनः दिनांक 14 / 07 / 2024 को प्रार्थी को 76,244 रूपये का विद्युत बिल प्रेषित किया गया तथा दिनांक 15 / 08 / 2024 को प्रार्थी को 97,014 का बिल प्रेषित किया गया।

6. यह कि प्रार्थी के प्रतिष्ठान द्वारा उक्त मात्रा में बिजली की खपत नही की जा रही थी, क्योकि प्रार्थी का कार्य काफी छोटे पैमाने पर चल रहा था अतः प्रार्थी को विद्युत मीटर में खराबी होने का अंन्देशा हुआ।
7. यह कि तत्पश्चात् प्रार्थी ने नियमानुसार विद्युत विभाग में एक चैक मापक लगाने के लिये आवेदन किया किन्तु प्रार्थी के आवेदन पर विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही नही की गई।
8. यह कि प्रार्थी ने क्षुब्ध होकर सी०एम० हेल्पलाईन पोर्टल पर दिनांक 23/09/2024 को विद्युत सम्बन्धी अपनी शिकायत दर्ज करायी, जिसके पश्चात् 23/09/2024 को ही प्रार्थी के प्रतिष्ठान पर चैक मापक लगाया गया।
9. यह कि दिनांक 07/10/2024 को विद्युत विभाग के अवर अभियन्ता ने चैक मापक रीडिंग ली और निम्न टिप्पणी कीः–चैक मापक फाईनल किया दोनो मापक Permissible Limit के अन्दर चलते पाये, पुराना मापक TP जला होने से उतारा एंव चैक मापक को अन्तिम रूप दिया।
10. यह कि उपरोक्तनुसार विद्युत विभाग ने ही प्रार्थी का मीटर जला हुआ पाया तथा इस प्रकार प्रार्थी को गलत विद्युत बिल भेजे गये।
11. यह कि दिनांक 14/10/2024 को प्रार्थी को अप्रत्याक्षित रूप से 7,49,525 का बिल प्रेषित किया गया जो कि प्रार्थी द्वारा विद्युत विभाग को सूचित करने पर सुधार के पश्चात् रूपये 1,53,444 का बिल प्रेषित किया। तत्पश्चात् प्रार्थी ने 48,000 रूपये विद्युत विभाग में जमा किये। जिसके पश्चात् दिनांक 14/12/2024 को रूपये 1,05,444 का बिल प्राप्त हुआ।
12. यह कि विद्युत विभाग ने भली–भाती जानते हुवे कि प्रार्थी को दिये गये बिल गलत और अधिक हैं तथा प्रार्थी ने पार्ट पेमेन्ट के तौर पर रूपये 48,000 जमा कर दिये थे, तत्पश्चात् दिनांक 31/12/2024 को विभाग द्वारा बिना किसी सूचना, नोटिस दिये प्रार्थी का विद्युत कनैक्शन विच्छेदित कर दिया जिस कारण प्रार्थी अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ है।
13. यह कि महोदय प्रार्थी के विद्युत संयोजन का विच्छेदन संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन है साथ ही उपरोक्त वैल्डिंग कार्य प्रार्थी की आजीविका का एक मात्र साधन है यदि विद्युत कनैक्शन को पुनः संयोजित नही किया गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी।

प्रार्थना

महोदय से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रतिवादी गणों को प्रार्थी का विद्युत संयोजन पुनः स्थापित करने का आदेश जारी करने की कृपा करें। तथा प्रतिवादी द्वारा प्रेषित डिमांण्ड नोटिस संख्या–72701250017 दिनांक 27 जनवरी 2025 को निरस्त करने की कृपा की जाये।

2. मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया गया कि परिवादी द्वारा बकाया राशि के 40 फीसदी धनराशि जमा करने पर संयोजन को जोड़ दिया जाये तथा परिवादी से वर्तमान बिल लेते रहें एवं वाद निरितारित होने तक संयोजन विच्छेदित ना करें।

3. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड (ग्रामीण) कालाढूंगी के कार्यालय पत्रांक 401/वि0वि0उ0ख0(ग्रा0)(का0)/टी–2/दिनांक 19.03.2025 के माध्मय से प्राप्त आख्यानुसार उपभोक्ता से ए0एस0डी0 रु० 9549.00 तथा बिल की धनराशि रु0 51450.00 जमा करने के उपरान्त संयोजन संयोजित कर दिया गया है।

4. परिवादी द्वारा अपने पत्र दिनांकित 07.04.2025 के माध्यम से कहा गया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में संयोजन संख्या–RR2N120101406 त्रुटिवस गलत लिखा गया है। महोदय प्रार्थी का विद्युत संयोजन संख्या–RR6C11411072 हैं। महोदय से विन्रम निवेदन है की सही कनैक्शन संख्या–RR6C11411072 है इस संयोजन के संबंध में सुनवाई की जाए। मंच ने परिवादी के अनुरोध को स्वीकार किया तथा सुनवाई हेतु 22.04.2025 की तिथि नियत की गई।

5. दिनांक 22.04.2025 को उभय पक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित रहे। पक्षकारों को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार 07.04.2024 को उसका मीटर बदला गया तथा मीटर बदलने के बाद भी NR और NA के बीजक बन रहे हैं। मीटर बदलने से पूर्व भी दिनांक 14.10.2024 को 7,49,525 का बीजक बनाया गया, हालांकि उसी तिथि पर बिल संशोधन भी कर दिया गया। उपभोक्ता हिस्ट्री से यह स्पष्ट है कि मार्च 2024 तक के बिल परिवादी द्वारा भुगतान किए गए हैं तथा अप्रैल से बिलों की राशि बढ़ने पर भुगतान नहीं किया गया। बकाया बढ़ने पर नवम्बर 2024 में 48000 का भुगतान किया गया तथा मंच के आदेश पर पुनः मार्च 2025 में रू 51450 रुपए का भुगतान किया गया। परिवादी के परिसर पर दिनांक 23.09.2024 को चैक मापक स्थापित किया गया जिसे 07.10.2024 को फाइनल कर चैक मापक को मेन मापक बना दिया गया। बिलिंग हिस्ट्री एवं चैक मापक सीलिंग प्रमाण पत्र में दर्ज मीटर रीडिंग में भिन्नता पाई गई है। हिस्ट्री के अनुसार 14.09.2024 को मीटर रीडिंग 77494 KWH है जबकि सीलिंग प्रमाण पत्र दिनांकित 23.09.2024 में वास्तविक रीडिंग 78644 KHW है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मीटर रीडर सही रीडिंग नहीं ले रहा था जिससे बिल बढने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ। अतः परिवादी का बीजक वर्तमान वास्तविक रिडिंग पर संशोधन किया जाना एवं दिनांक 22.04.2024 के बाद लगे समस्त विलम्ब भुगतान अधिभार को हटाया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी की वर्तमान रीडिंग लेकर वास्तविक खपत पर बिल संशोधित करें तथा दिनांक 22.04.2024 से बिल संशोधन तिथि तक कोई विलंब भुगतान अधिभार आरोपित न करें। संशोधित बीजक में परिवादी द्वारा उक्त समयावधि में जमा कराई गई धनराशि का समायोजन करें। विपक्षी इस आदेश की अनुपालन आख्या 30 दिन के भीतर मंच में प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत

विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः— 23/ 04/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः— 23/04/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–42 / 2025,

परिवादी

आनन्द सिंह अधिकारी,
हिम्मतपुर तल्ला भगवानपुर रोड़,
सर्वोदय नगर फेस 1,पो0ऑ0 हरिपुर नायक हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

बनाम

विपक्षी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपने शिकायती पत्र में कहा गया है कि:— मैने दिनांक 2 मार्च 2025 को अपने यहां सोलर 3 किलोवाट को प्लांट लगवाया था जिसके लिए विद्युत विभाग द्वारा पुराना विद्युत मीठर चेज कर के नया विद्युत मीठर लगवाने के लिए राना जी नाम के व्यक्ति जिनका मो० ना० 8445643005 को भेजा गया विद्युत मीटर लगाते वक्त राना जी ने बोला कि अभी हमारे पास समय नही है हम तारो को मीटर में जोड जाते है मीठर की सीलिग बाद में करेगे। हमे अभी मैच देखने जाना है। मैने 3 मार्च से रोजाना राना जी को कांल करके कहता रहा कि हमारे विद्युत मीटर की सीलिग कर दीजिए मगर राना जी बोलते रहे आज आता हूं, कल आता हूं, कल दिनांक 31 मार्च को जब मैने उनको सीलिंग के लिए बोलो, तो उनका जबाब था कि ये हमारा काम नही है हम क्या आते रहेगे। एंव राना जी द्वारा अपशब्दो का उपयोग किया गया। एंव मेरा विद्युत मीटर बिना सीलिंग करके छोड दिया गया है।

मेरा सिर्फ आपको यह बताने का अभिप्राय है कि मेरे विद्युत मीटर की सीलिग करवाये एंव ऐसे विद्युत कर्मचारियो के प्रति विभाग कोई कार्यवाही करे जो उपभोगता को पैसे लेने के अभिप्राय से परेशान करते है।

2. विपक्षी / विभाग द्वारा अपने उत्त्तर पत्र में कहा गया है कि दिनाँक 27.02.2025 को शिकायतकर्ता के परिसर पर सोलर मापक स्थापित किया जा चुका है जिसकी सीलिंग प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है तथा शिकायतकर्ता के सोलर मापक को सील कर शिकायतकर्ता की समस्या का सामाधान किया जा चुका है, प्रमाण स्वरूप सील विद्युत मापक का छायाचित्र ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।

चूँकि शिकायतकर्ता की समस्या का सामाधान किया जा चुका है अतः माननीय महोदय से अनुरोध है कि उक्त वाद को निस्तारित करने की कृपा करें।

आदेश

वाद स्वीकृत, परन्तु शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान विभाग द्वारा कर दिया गया है। जिससें परिवादी भी सहमत है। अतः वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 07 / 04 / 2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 07 / 04 / 2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

OFFICE OF THE CONSUME GRIEVANCES REDRESSAL FORUM, KUMAOUN ZONE,HALDWANI

Case No.: 43/2025

Shri/Smt…नंदित सिंह… **V/S Executive Engineer**…हल्द्वानी ग्रा०

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	03.04.2025	विपक्षी को दिनांक **08.04.2025** को उत्तर पत्र/विस्तृत आख्या हेतु नोटिस जारी करें।	08.04.2025
[signature] AE(M)	07/04/25	**आदेश** पत्रावली प्रस्तुत। विपक्षी उपस्थित। विपक्षी द्वारा 5/4/2025 को आख्या प्रस्तुत कर दी गई तथा आख्या के साथ सीलिंग प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि ~~संलग्न~~ संलग्न की गई। चूंकि शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान कर दिया गया है, अतः वाद को निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। सदस्य (उपभोक्ता) वि०उ०शि०नि०मं० हल्द्वानी सदस्य (तकनीकी) वि०उ०शि०नि०मं० हल्द्वानी सदस्य (न्यायिक) वि०उ०शि०नि०मं० हल्द्वानी	

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–44 / 2025

पंजीकरण तिथि–07.04.2025

परिवादी

आन सिंह रजवार
पुत्र स्व0 गोपाल सिंह
ग्राम–नाईसेला
पो0ओ0–बेल
जिला–नैनीताल।

बनाम

विपक्षी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि उसका विद्युत अकाउंट न0–40119526622 है महोदय जी यह मीटर मेरे पिता जी के नाम का है जिनका अब देहांत हो चूका है हमारे मीटर का करीब ₹ 34000.00 का बिल आ गया था जो मेरे पिता जी द्वारा जमा कर दिया था उसके बाद हमने चैक मीटर लगाया था जो हमारा मीटर फास्ट भाग रहा था उसके बाद नया मीटर लगाया गया उसके बाद जो मेरे पिता जी द्वारा ₹ 34000.00 बिल भरा गया था वह ज्यादा बिल भर गया था नये मीटर की शुरूआत ₹ 17000.00 माइनस से की गयी जिसमें अभी नया मीटर नहीं जोड़ा गया है जो अभी भी पुराने मीटर के हिसाब से बिल आ रहा है जिसमे RDF लगा हुआ है जिसके कारण बहुत ज्यादा बिल आ गया है। कृपा मेरे मीटर में से RDF हटा के मेरे बिल में सुधार करने की कृपा कीजियेगा, आपकी इस कृपया के लिए मै सदैव आपका आभारी रहूँगा।
2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि दिनांक 16.09.2022 को शिकायतकर्ता के परिसर का खराब मापक बदला गया था परन्तु भूलवश इसकी सीलिंग सिलिंग सिस्टम में फीड नही हुई थी जिस कारण शिकायतकर्ता को RDF के बिल प्रेषित हो रहे थे। वर्तमान में शिकायतकर्ता के बदले मापक की सीलिंग सिस्टम में फीड कर दी गयी है तथा शिकायतकर्ता का विद्युत बिल वर्तमान रीडिंग 1925 KWh जो ₹ (–) 5191.15 का बना है, (कागज संख्या–3 / 1)। चूँकि शिकायतकर्ता की समस्या का सामाधान किया जा

क्रमशः

चुका है अतः माननीय महोदय से अनुरोध है कि उक्त वाद को निस्तारित करने की कृपा करें।

3. परिवादी द्वारा ईमेल के के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 17.04.2025 में कहा गया है कि "मैं आपकी करवाई से संतुष्ट हूँ कृपा मेरे केस को बंद कर दिया जाय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद "।
4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। परिवादी ने विपक्षी की कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त करते हुये दिनांक 17.04.2025 को ईमेल के माध्यम से अपना संतुष्टि पत्र मंच में प्रस्तुत किया। अतः विपक्षी द्वारा की गयी कार्यवाही एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 22.04.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 22.04.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.- 47 /2025-26

Shri/Smt. नावेद निसार ....Vs Exeutive Engineer नैनीताल ....

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
[illegible] SDO Bhowali	08/04/2025	आज यह परिवाद विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हल्द्वानी द्वारा आयोजित शिविर नैनीताल में प्राप्त हुआ है। विपक्षी / विभाग, शिकातकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में दिनांक 19 / 04 / 2025 तक अपना उत्तर पत्र मय कन्ज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। [illegible] [illegible] [illegible]	19/04/2025
	19/04/25	आदेश :- पत्रावली प्रस्तुत। विपक्षी द्वारा उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया। परिवादी की संयोजन विच्छेदन संबंधी शिकायत पर विपक्षी का कहना है कि उपभोक्ता द्वारा बकाया राशि जमा कराने के बाद संयोजन पुनः जोड़ दिया गया है। परिवादी की संयोजन जोड़े जाने की मांग पर विपक्षी द्वारा बकाया जमा होने पर तत्काल कार्यवाही की जा चुकी है। अतः शिकायत का समाधान हो जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। [illegible]	वाद निस्तारित

[illegible]
सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०शि०नि०मं० हल्द्वानी

[illegible]
सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०मं० हल्द्वानी

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

CAMP – BHOWALI

Case No.- 48 /2025-26

Shri/Smt.......शरीन जहान.......Vs Exeutive Engineer....Nainital....

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
	08/04/2025	आज यह परिवाद विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हल्द्वानी द्वारा आयोजित शिविर ......भवाली...... में प्राप्त हुआ है। विपक्षी / विभाग, शिकातकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में दिनांक ..19.... / ..04... / 2025 तक अपना उत्तर पत्र मय कन्ज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।	19/04/25
	19/04/25	आदेश:- पत्रावली पेश हुई। विपक्षी द्वारा उत्तरपत्र प्रस्तुत कर कहा गया कि परिवादी का मापक दिनांक 09/04/25 को बदला जा चुका है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा परिवादी की मीटर बदले जाने संबंधी शिकायत का निस्तारण कर दिये जाने पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। सदस्य (उपभोक्ता) वि०उ०शि०नि०मं० हल्द्वानी सदस्य (तकनीकि) वि०उ०शि०नि०मं० हल्द्वानी	वाद निस्तारित

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.- 49 /2025-26

Shri/Smt......निधि......Vs Exeutive Engineer......Nainital.

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
Manoj SDO Bhowali	08/04/ 2025	आज यह परिवाद विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हल्द्वानी द्वारा आयोजित शिविर .....भवाली..... में प्राप्त हुआ है। विपक्षी / विभाग, शिकातकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में दिनांक ...19... / ...04... / 2025 तक अपना उत्तर पत्र मय कन्ज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। [signatures]	19/04/2025
	19/04/25	आदेश :— पत्रावली प्रस्तुत। विपक्षी द्वारा उत्तर पत्र प्रस्तुत कर कहा गया कि उपभोक्ता का मापक दिनांक 14/04/2025 को बदला जा चुका है। इस प्रकार परिवादी की शिकायत का निवारण हो जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। [signature] सदस्य (उपभोक्ता) विoउoशिoनिoमo हल्द्वानी [signature] सदस्य (न्यायिक) विoउoशिoनिoमo हल्द्वानी	वाद निस्तारित

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.-04202503190001 नैनीताल कैम्प दि. 09/04/2025

Shri/Smt. सुहैल रहमान ....Vs Exeutive Engineer नैनीताल..................

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
[signature] 09/04/25	09/04/25	आदेश पत्रावली प्रस्तुत, परिवादी अनुपस्थित, विभाग अधिकारी उपस्थित, विभाग अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि स्पैलिंग करैक्शन के लिये परिवादी को पहले ही सूचित किया जा चुका है कि उपयुक्त स्वामित्व प्रमाण एवं नोटोराइज्ड शपथपत्र जमा करवाने पर स्पैलिंग संशोधन की कार्यवाही कर दी जायेगी। परिवादी द्वारा ईमेल द्वारा सूचित किया गया है कि वह अपना किसी कारणवश मंच समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता। साथ ही प्रार्थी अपना नाम परिवर्तन नहीं करना रहा, केवल स्पैलिंग संशोधन ही चाहता है। मंच द्वारा अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी के बिल में ~~[illegible]~~ एवं उसके आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में जो स्पैलिंग है वही प्रार्थी अपने बिल में संशोधित करवाना चाहता है, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में पिता का नाम बिल में पिता का नाम एक ही है। मंच के अनुसार यह संशोधन प्रार्थी द्वारा एक शपथ पत्र जमा करवाने पर विभाग द्वारा कर दिया जाये। परिवाद तदानुसार निस्तारित। पक्षकार सूचित हों। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	

[signature]
सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

[signature]
सदस्य (तकनीकी)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

[signature]
सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी